

DGT-TCD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

सेंट जानू बाबा प्राइवेट आईटीआई,
मंडई मैनपुरी रोड, तहसील शिकोहाबाद,
जिला - फिरोजाबाद, पिन - 283135, उत्तर प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


इस निदेशालय को दिनांक 30.12.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं। (ईमेल की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिनों के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।


प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।

2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR09901276)



o/c


(आर. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TC031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

जे.एस. विश्वविद्यालय प्राइवेट आईटीआई,
मणिपुरी रोड, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद,
पिन - 205152, उत्तर प्रदेश।

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस।

महोदय,


इस निदेशालय को दिनांक 30.12.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं। (ईमेल की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

श्री शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR09901279)




(आर. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TCO031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

मेजर रामवीर सिंह प्राइवेट आईटीआई,

गावं एंड पोस्ट बलीपुर शिकोहाबाद फिरोजाबाद,

जिला- फिरोजाबाद, पिन - 283142, उत्तर प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 30.12.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं। (ईमेल की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR09000241)



व/

(आर. मुरुगराजन)

उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TCDD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

मेजर रामवीर सिंह प्राइवेट आईटीआई,
अवास विकास कॉलोनी, शिकोहाबाद
जिला फ़िरोज़ाबाद, पिन - 283135, उत्तर प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 30.12.2020 को ईमेल द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें यह बताया गया है कि आपके संस्थान में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं। (ईमेल की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये। आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

शु कौज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PU09901278)



(आर. मुरुगराजन)

उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TCO031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

डॉ० भीम राव अम्बेडकर प्राइवेट आईटीआई,
ग्रामीण कैलाहत पोस्ट पंचवारा चुनार मिर्जापुर,
जिला - मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


इस निदेशालय द्वारा यह नोटिस किया गया है कि आपकी आईटीआई नें बिना आवेदन/निरीक्षण के ट्रेडों / यूनिट्स में वृद्धि की गई है | (NCVT पोर्टल एवं एफिलियेशन की प्रति संलग्न) |

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं ! तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

➤ शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार



(सुनील कुमार गुप्ता)


निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR09000166)




(आर. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-TC031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 20.01.2021

सेवा में,

राम किशोर साहू प्राइवेट आईटीआई,
विलेज- कड़वासरा, पोस्ट- नोक्टा, जिला- संत कबीर नगर,
उत्तर प्रदेश - 272176

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,


संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 7392 एस०सी०वी०टी० / पोर्टल / यूनिट / बस्ती मण्डल / राम किशोर साहू / 2020 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा भेजा गया पत्र जो की इस महानिदेशालय को दिनांक 24.12.2020 को प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि उक्त आईटीआई ने इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में 3(1+1+1) के स्थान पर 6(2+2+2) यूनिट्स गैर कानूनी रूप से बढ़ा कर परीक्षार्थियों को पर्वेश दिया गया है (प्रति संलग्न हैं) ।

अतः आपसे इस विषय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपके संस्थान की डी-एफिलियेशन हेतु कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाये । आपका स्पष्टीकरण इस निदेशालय को इस पत्र के जारी किये जाने के 15 दिन के भीतर (05.02.2021 तक) प्राप्त हो जाना चाहिए। किसी भी तरह की जानकारी निर्धारित समय में ना मिलने पर यह माना जायेगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहते हैं । तत्पश्चात आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

शु शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे ।

भवदीय

संलग्न- उपरोक्त अनुसार


(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।


प्रति:

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।

2. (एन.सी.वी.टी. MIS कोड- PR09900738)

g/c




(आर. मुरुगराजन)
उप-निदेशक, प्रशिक्षण